1994. Efforts are being made to obtain it. However, according to the assessment made by the Central Ground Water Board, an apex organisation of the country in the field of ground water, the level of ground water development in Ludhiana is 123.16 per cent.

(b) The Central Ground Water Board has prepared guidelines for formulation of Artificial Recharge Scheme by the State Government and the drafts manual containing guidelines for formulation of Artificial Recharge Scheme has been circulated by the Board to the State Government.

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित परियोजनायें

6186. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित परियोजनाओं की संख्या क्या है ;

(ख) उक्त परियोजनाओं में से कितनी पूरी हो चुकी हैं और उन परियोजनाओं की संख्या क्या है जिनका कार्य अभी चल रहा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को बाण सागर परियोजनाओं को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ङ) यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या सरकार बाण सागर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर विचार करेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुन्गन) : (क) सिंचाई क्षेत्र में किसी भी परियोजना को "राष्ट्रीय परियोजना" के रूप में घोषित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परिकलित व्यापक अवधारणा/मानदण्डों के अनुसार, बाण सागर परियोजना भी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है ।

सरकारी और निजी स्रोतों के द्वारा कृषि योग्य भूमि की सिंचाई

6187. **श्री राघवजी :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार देश में सरकारी और निजी संसाधनों के द्वारा सिंचित कृषि योग्य भूमि की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों में जिनमें सिंचित भूमि की प्रतिशतता काफी कम है प्रतिशतता बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुन्गन) : (क) सरकार और निजी स्रोतों से निबल सिंचित क्षेत्र सम्बन्धी अलग-अलग आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं । कृषि मंत्रालय के अद्यतन भूमि प्रयोग सांख्यिकी 1990–91 (अनन्तिम) में दिए अनुसार राज्यवार कुल कृष्य क्षेत्र, कुल निबल सिंचित क्षेत्र तथा कुल कृष्य क्षेत्र में

कुल निबल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) चूंकि सिंचाई राज्य का विषय है, इसलिए, सिंचाई विकास के कार्यक्रमों का निर्माण, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। तदनुसार सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए आठवीं योजना (1992-97) की नीति में इन पर बल दिए जाने की परिकल्पना है : (1) निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना (2) वृहद और मध्यम परियोजनाओं में अधिक जल प्रयोगकर्ताओं की भागीदारी (3) अनेक निर्माणाधीन सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने को प्राथमिकता देना और (4) सतही और भूजल का संयुक्त प्रयोग।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कृष्य क्षेत्र कुल, निवल सिंचित क्षेत्र तथा कुल कृष्य क्षेत्र में कुल निबल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत (अनंतिम)

(हजार हेक्टे.)

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल कृष्य क्षेत्र	कुल निबल सिंचित क्षेत्र	कुल कृष्य क्षेत्र में कुल निबल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15926	4305	27.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	267	31	11.6
3.	असम	3229	572	17.7
4.	बिहार	11129	3347	30.1
5	गोवा	222	20	9.0
6.	गुजरात	12312	2493	20.2
7.	हरियाणा	3768	2599	69.0
8.	हिमाचल प्रदेश	816	99	12.1
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1045	298	28.5
10.	कर्नाटक	12891	2113	16.4
11.	केरल	2447	333	13.6
12.	मध्य प्रदेश	22825	4314	18.9
13.	महाराष्ट्र	21001	2036	9.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	मणिपुर	164	65	39.6
15.	मेघालय	1074	46	4.3
16.	मिजोरम	584	8	1.4
17.	नागालैण्ड	642	59	9.2
18.	उड़ीसा	8093	1934	23.9
19.	पंजाब	4375	3910	80.4
20.	राजस्थान	25707	3904	15.2
21.	सिक्किम	114	16	14.0
22.	तमिलनाडु	8411	2373	28.2
23.	त्रिपुरा	312	41	13.1
24.	उत्तर प्रदेश	20846	10542	50.6
25.	पश्चिम बंगाल	5932	1911	32.2
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	75	—	0.0
27.	चण्डीगढ	3	2	66.7
28.	दादरा व नगर हेवेली	24	2	8.3
29.	दमन व दीव	7	1	14.3
30.	दिल्ली	70	38	54.3
31.	लक्षद्वीप	3	—	0.0
32.	पांडिचेरी	34	22	64.7
	कुल योग :	184348	47434	25.7

Brahmaputra flood Control Board without a Chairman

6188. DR. B. B. DUTTA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Brahmaputra Flood Control Board is functioning without any Chairman for years together;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to take some steps to reconstitute the Board to make it function effectively; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) There has been no regular incumbent as Chairman, Brahmaputra Board since January, 1987.